दिनांक 10 अगस्त, 2022 को प्रस्तावित जिला उद्योग मित्र बैठक हेतु एजेण्डा

जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला उद्योग मित्र समिति, की अध्यक्षता में सम्पन्न विगत बैठक दिनॉक 20 जुलाई, 2022 में दिये गये निर्देशो के क्रम में निम्न बिन्दुओं पर सम्बन्धित विभाग से इकाईयों को आ रही समस्या के निवारण हेतु बैठक का आयोजन किया जा रहा है। बैठक के बिन्दु निम्नवत हैं : –

क्र.सं.	बैठक से सम्बन्धित बिन्दु	अब तक की की गई कार्यवाही की प्रगति	सम्बन्धित विभाग
1	2	3	4
1	**लीसा इकाइयों द्वारा लीसे का मूल्य अधिक होने के कारण एवं इस पर 10.5 प्रतिशत का अधिक कर होने से उद्योग बन्द होने के कगार पर है। लीसा नीलाम की शर्त संख्या 17 में दिनांक 25.09.2020 का शासनादेश का उल्लेख किया गया है व मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा समाप्त करते हुये इसे 2 प्रतिशत निर्धारित कर इससे अधिक जमा की गयी धनराशि को वापस/समायोजित किया जाये। लीसा इकाईयां 04 माह से नीलाम न होने से बंद है। इसके अतिरिक्त लीसा इकाईयों से मण्डी शुल्क भी लिया जा रहा है।**	लीसा इकाईयों द्वारा लीसे का मूल्य पर स्टाम्प ड्यूटी की दर 2 प्रतिशत अथवा 12.5 प्रतिशत होने के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने संबंधी बिन्दु पर विगत बैठक में उपस्थित प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग द्वार अवगत कराया गया था कि, मुख्य वन संरक्षक कुमाऊँ, उत्तराखण्ड नैनीताल के निर्देशों के अनुसार 2 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क वसूला जाता था।परन्तु उत्तराखण्ड शासन वन अनुभाग–2 के आदेश संख्या 2021/X-2-2020-15(04)2013दिनांक 25.09.2020 के क्रम में लीसे की बिक्री पर 12.50 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क की वसूली कर, नीलाम में बिक्री किये गये लीसे का निस्तारण किया जा रहा है। लीसे पर 2 प्रतिशत की दर से मण्डी शुल्क एवं 0.50 प्रतिशत विकास सैस उत्तराखण्ड राज्य गठन के पूर्व से लिया जाता रहा है। बैठक में उपस्थित उप निबन्धक स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन द्वारा अवगत कराया गया कि निकाले हुये लीसे की बिक्री पर मूल्यांकन का 2 प्रतिशत, लीसे की नीलामी के आधार पर मूल्यांकन का 5 प्रतिशत तथा लीसे को लीज के आधार पर लीज वर्षों के आधार पर क्रमशः 01 वर्ष से 05 वर्ष तक मूल्यांकन के 03 गुने का 2 प्रतिशत, 06 वर्ष से 10 वर्ष तक मूल्यांकन के 04 गुने का 2 प्रतिशत, 11 वर्ष से 20 वर्ष तक मूल्यांकन के 05 गुने का 2 प्रतिशत, 21 वर्ष से 30 वर्ष तक मूल्यांकन के 06 गुने का 2 प्रतिशत एवं 30 वर्ष से अधिक वर्षों की लीज पर मूल्यांकन का 5 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी देय होना बताया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा विगत बैठक में दिये गये निर्देशानुसार प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग द्वारा पत्र संख्या 18–2 दिनांक 21.06.2022 प्रभाग एवं उपनिबन्धक, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन हल्द्वानी द्वारा अपने पत्रांक 110 ए दिनांक 06.06.2022 द्वारा एक दूसरे को परस्पर लीसा इकाईयों से प्राप्त की जाने वाली स्टाम्प शुल्क दरों से अवगत कराया गया है। जिसकी सूचना सम्बन्धित विभागों ने इस कार्यालय को प्रेषित की है। दिनॉक 20 जुलाई, 2022 को सम्पन्न बैठक में चर्चा उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा इस सम्बन्ध में लीसा इकाई प्रतिनिधियो/चैम्बर पदाधिकारियों, उप निबन्धक स्टाम्प, रजिस्ट्रेशन एवं प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग के साथ मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा इस सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों के क्रम में पृथक से एक बैठक कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये।	**प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग/उप निबन्धक स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, हल्द्वानी।**
2	**हर्ष पैकेजिंग कोटाबाग में विद्युत की अनियमतता विगत 01 वर्ष से बनी हुयी है, जिस कारण से उद्योग बंद होने के कगार पर है।**	दिनॉक 20 जुलाई, 2022 को सम्पन्न बैठक में चर्चा उपरान्त समस्या के निवारण हेतु विद्युत सप्लाई के रोस्टिंग समय निर्धारित किये जाने पर आपसी सहमति बनी। जिस हेतु अध्यक्ष महोदय द्वारा महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को सम्बन्धितों के साथ पृथक से बैठक करते हुए रोस्ट्ररिंग समय निर्धारित करने हेतु निर्देश दिये। उक्त निर्देशों के क्रम में अधिशासी अभियन्ता, विधुत वितरण खण्ड, रामनगर द्वारा अपने	**अधि0अभि0, विद्युत वितरण खण्ड, रामनगर।**

		पत्रांक 3305 दिनांक 03–08–2022 के द्वारा निम्न प्रकार से अवगत कराया गया है कि, 1. कोटाबाग क्षेत्र में आकस्मिक रोस्ट्ररिंग एवं ब्रेकडाउन को छोड़ कर उपभोक्ता शिकायतों के निस्तारण हेतु शटडाउन का समय प्रातः 6–8, दोपहर 1–2 तथा सायं 5–6 निर्धारित किया गया है। 2. कोटाबाग क्षेत्र की विद्युत लाईनों के समीप आ रहे वृक्षों की टहनियों की लौपिंग–चौपिंग करा दी गयी है। कुछ वृक्ष जिनका पातन किया जाना आवश्यक हो गया है, उनके पातन हेतु वन विभाग से पत्राचार किया गया है। अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त उक्त वृक्षों की लौपिंग–चौपिंग करायी जायेगी। 3. 33 के0वी0 बैलपड़ाव से कोटाबाग सिंगल सर्किट 17 किलोमीटर है, जिसमें घने जंगलों से 8 किलोमीटर का क्षेत्र है। 4. सेल्सिया फीडर की लम्बाई लगभग 30 किलोमीटर है, जिसमें 13 किलोमीटर घने जंगल हैं। 5. बैलपड़ाव से सप्लाईन चिल्किया या कमलुवागांजा से 33 के0वी0 होकर आती है, इस लाईन में फाल्ट आने पर भी कोटाबाग क्षेत्र की आपूर्ति प्रभावित हो जाती है। 6. सेल्सिया एक रूरल फीडर है। इसके बाइफरकेशन का प्रस्ताव बना के प्रेषित किया जा रहा है तथा उपरोक्त प्रयासों से सम्मानित उपभोगताओं को सुचारू विद्युत आपूर्ति देने के प्रयास किये जा रहे हैं।	
3	**मै0 पिनेकल कोटाबाग को जल संस्थान द्वारा पानी की सप्लाई ना प्राप्त होने के बाद भी रू0 50,000.00 से अधिक का बिल विभाग द्वारा भेजा जा रहा है, उक्त समस्या 2008 से बनी हुयी है।**	दिनॉक 20 जुलाई, 2022 को सम्पन्न बैठक में मै0 पिनेकल कोटाबाग को जल संस्थान द्वारा पानी की सप्लाई प्राप्त न होने के बाद भी रू0 50,000/– से अधिक का बिल विभाग द्वारा भेजे जाने सम्बन्धित बिन्दु पर अध्यक्ष/जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियंता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, हल्द्वानी को उक्त कनेक्शन के देयक पर पुर्नपरीक्षण करते हुए नियमानुसार बिल संशोधित करने के निर्देश दिये।	**उत्तराखण्ड जल संस्थान, हल्द्वानी।**
4	**सोप स्टोन के भण्डारण विषयक**	दिनॉक 20 जुलाई, 2022 को सम्पन्न बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा पृथक से सम्बन्धित विभाग से इकाईयों की बैठक करने हेतु निर्देशित किया गया।	**उपनिदेशक खनन/अपर जिलाधिकारी (वि/रा), नैनीताल**

अन्य कोई बिन्दु :– अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।